



SHIL



SHIL

**—: बैनामा :—**

**—:रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों से आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु विक्रय**

**विलेख:—**

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर	—	रु—80,00,000.00 (प्रति हे०)
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (सर्किल रेट का 4 गुना)	—	रु—3,20,00,000.00 (प्रति हे०)
विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य	—	रु— 16,32,000.00
विक्रय मूल्य (भूमि + परिसम्पत्ति का मूल्य)	—	रु—(16,32,000.00 + 00.00)
	—	रु—16,32,000.00
ई—स्टाम्प शुल्क	—	रु— 1,14,240.00
ई—स्टाम्प संख्या	—	
निबन्धन,प्रतिलिपिकरण व अन्य शुल्क	—	रु—16,380.00

**विक्रय—विलेख**

भूमि का प्रकार	—	कृषि
ग्राम/मोहल्ला	—	पहाडी
परगना व तहसील	—	रामपुर।
जनपद	—	रामपुर।

ASHISH





## विक्रेता का विवरण :-

1. श्री आशीष पुत्र श्री रामपाल

निवासी - ग्राम चमरपुरा, रामपुर।  
आधार कार्ड संख्या - XXXX XXXX 4554  
पैन कार्ड संख्या - CUOPA5971Q  
मोबाईल संख्या - 9548559491




ASHISH

## क्रेता का विवरण :-

रामपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास कालोनी 32/7, रामपुर, 244901 (उ0प्र0).

पैन कार्ड संख्या :- AAALR0333H  
द्वारा :- श्री जगदीश पाल सिंह  
पदनाम :- अवर अभियन्ता  
विभाग :- रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।  
जनपद :- रामपुर।  
मोबाईल नं0 :- 9013067386  
आधार कार्ड संख्या - XXXXXXXX 2602



## विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

क्र0 सं0	विक्रेता व पिता /पति का नाम	गाटा संख्या	कुल क्ष0 (हे0 में)	कुल क्ष0 में से विक्रय हेतु प्रस्तावित क्ष0	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्ष0 में अंश	हिस्से के अनुसार विक्रीत क्ष0 (हे0 में)	भू राज स्व
1	2	4	5	6	7	8	9
1	श्री आशीष पुत्र श्री रामपाल	273	0.7650	0.7650	पूर्ण भाग	0.0510	-

कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.7650 हे0 में से विक्रीत क्षेत्रफल 0.0510 हे0 विक्रेता का अंश पूर्ण है।

सड़क की स्थिति - कोई नहीं।

परिसम्पत्ति - रु0-00.00

## विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी:-


क्रमांक	गाटा संख्या	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	273	खेत अरुन	ताशका खेत संख्या 454	नहर	ताशका गाटा संख्या 456

ASHISH



Signature of Jagdish Pal Singh





**विक्रय मूल्य का भुगतान:-**

कुल विक्रय मूल्य **रु० - 16,32,000.00**( सोलह लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) में से विक्रेता भुगतान की जाने वाली धनराशि का विवरण :-

क्र० सं०	विक्रेता व पिता /पति का नाम	पता	बैंक का नाम	चैक संख्या	चैक का दिनांक	भुगतान राशि
1	श्री आशीष पुत्र श्री रामपाल	ग्राम चमरपुरा, रामपुर	SBI रामपुर।	073377	22-08-2025	रु०-16,32,000.00( सोलह लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र)


विक्रीत भूमि चकबन्दी आकार पत्र-45 में कबीरन बेवा बहादुर के नाम दर्ज है। कबीरन द्वारा उक्त भूमि का बैनामा महबूब शाह खां उर्फ मुन्ने खां पुत्र बहादुर शाह खां के पक्ष में किया गया। महबूब शाह खां द्वारा उक्त भूमि मोहन पुत्र कड़डे को विक्रय की गयी। मोहन की मृत्यु उपरान्त भूमि वरासतन रामसरन पुत्र मोहन के नाम दर्ज हुयी। रामसरन द्वारा उक्त भूमि का बैनामा बाबू व जयराम पुत्रगण मोहन व मेवाराम , ओमप्रकाश व नन्हे पुत्रगण जानकी व रामकिशोर पुत्र रामस्वरूप के पक्ष में किया गया। बाबू पुत्र मोहन द्वारा भूमि परनन्दी पत्नी कल्लूराम को विक्रय की गयी। जयराम पुत्र मोहन द्वारा उक्त भूमि का बैनामा सुल्तान खां पुत्र अजीज अहमद के पक्ष में किया गया। परनन्दी उर्फ हरनन्दी की मृत्यु उपरान्त भूमि वरासतन भगवानदास, मुकेश कुमार, वरुण कुमार कश्यप व सोनू पुत्रगण कल्लूराम के नाम दर्ज हुयी। रामकिशोर पुत्र रामस्वरूप द्वारा अपनी भूमि का बैनामा रामपाल पुत्र सिपाहीलाल के पक्ष में किया गया। रामपाल द्वारा अपनी भूमि का बैनामा आशीष पुत्र रामपाल के पक्ष में किया गया, जिसका अंकन खतौनी फसली वर्ष 1426-31 में है। विक्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है। उक्त भूमि कय किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा- 98/99 के तहत न्यायालय जिलाधिकारी रामपुर से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। विक्रीत भूमि ना तो किसी को हस्तांतरित की गयी है और ना ही किसी बैंक या सरकारी कार्यालय अथवा किसी व्यक्ति को बन्धक की गयी है। विक्रीत भूमि हर प्रकार से रेहन व वय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, दीवानी या राजस्व वाद आदि से मुक्त है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है और ना ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें गाटा संख्या-273 रकबा 0.7650हे० में से रकबा-0.0510हे० भाग विक्रीत की जाती है। अब जरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिली खारिजी सहित पूरे होशो हवास स्वस्थ चित से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव

ASHISH



*(Signature)*





वेदन सं०: 202500726014790

(सरकारी)

विक्रय पत्र

ही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 11033

वर्ष: 2025

तिफल- 1632000 स्टाम्प शुल्क- 114240 बाजारी मूल्य - 1632000 पंजीकरण शुल्क - 16320 प्रतिनिपिकरण शुल्क - 60 योग : 16380

श्री रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा  
जगदीश पाल सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,  
श्री अतर सिंह  
यवसाय नौकरी  
नेवासी: रामपुररामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

*Handwritten signature*



श्री. रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा

जगदीश पाल सिंह अधिकृत  
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/08/2025 एवं

15:21:37 PM बजे

नेबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Handwritten signature of Anilma Sharma*

अनिमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक :सदर

रामपुर

29/08/2025

निबंधक लिपिक

29/08/2025




नाजायज किसी शख्स के मय सम्पूर्ण अधिकार सहित मुवलिंग रू०-16,32,000.00( सोलह लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र), होते हैं, बदस्त क्रेता रामपुर विकास प्राधिकरण, आवास विकास कालोनी 32/7, रामपुर 244901 (उ०प्र०) के पक्ष में वय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि आर०डी०ए० को बेच दिया और कुल जर समन हसब तफसील जैल क्रेता मजकूर से जरिये चैक वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से बजाये अपने क्रेता मजकूर का कब्जा वाकई बखूफी कर दिया। अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया है व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी ना रहा। विक्रेता विक्रीत भूमि के प्रतिफल के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिकर या लाभ का दावा कियी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा।


अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे और अगर विक्रीत आराजी वयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जावे या कब्जा ना मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा विक्रेता उसके वारिसानों तथा दीगर जायदाद चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सारे हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को अंतरित कर दिये हैं, अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजों में अपने नाम दर्ज करा लेवे। विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है, उक्त भूखण्ड का, जिसका आर०डी०ए० के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, और प्रश्नगत भूमि का स्वत्व विक्रेता में निहित है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अतः यह विक्रय विलेख (बैनामा) अपने होशो हवास स्वस्थ चित से बगैर किसी व्यक्ति के अनुचित दबाव से समक्ष साक्षियों के निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकतानुसार भविष्य पर काम आवे। इस विक्रय पत्र के निष्पादन से मुझ विक्रेता की आजीविका, निवास स्थान व जीवनचर्या परिवर्तित नहीं हो रही है और न ही आजीविका, निवास स्थान व जीवनचर्या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

ASHISH





आवेदन सं०: 202500726014790

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 11033

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री आशीष

ASHISH

पुत्र श्री रामपाल

ASHISH

निवासी: ग्राम चमरपुरा तह० सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: कृषि

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 971Q

क्रेता: 1



श्री रामपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जगदीश पाल सिंह.

RAMPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

पुत्र श्री अंतर सिंह

AS

निवासी: रामपुररामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 333H



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री राजीव गंगवार, पुत्र श्री बट्टी प्रसाद

निवासी: ग्राम पहाडी तह० सदर जिला रामपुर


व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

श्री नौवत राम, पुत्र श्री भूकन लाल

निवासी: रामपुर विकास प्राधिकरण जिला रामपुर

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ओनैमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक: सदर

रामपुर

29/08/2025

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

निबंधक लिपिक रामपुर

29/08/2025

प्रस्तुत विक्रय विलेख विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उसके द्वारा बताये गये तथ्यों व आश्वासन के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेता की है तथा पक्षकारों की पहचान उनके साक्षियों द्वारा की जा रही है।

विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय की धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विकास कार्य करते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अधिक धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है, तो 15 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर से भू-राजस्व की भाँति रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर (आर0डी0ए0) को वसूलने का अधिकार होगा। साथ ही यदि उक्त भूमि पर भविष्य में कोई देयता पायी जाती है, तो उसका समस्त उत्तदायित्व विक्रेता का होगा, जो उक्त देयता को ब्याज सहित देना होगा।

स्थान :- रामपुर।

दिनांक :-


**साक्षी नम्बर 1 -**

हस्ताक्षर - 

नाम - श्री राजीव गंगवार  
पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पहाडी, तहसील व परगना रामपुर।  
पिता का नाम - श्री बद्री प्रसाद




**साक्षी नम्बर 2 -**

हस्ताक्षर - 

नाम - श्री नौवत राम  
पदनाम - संविदा कर्मचारी, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।  
पिता का नाम - श्री भूकन लाल



हस्ताक्षर विक्रेता  
**ASHISH**

हस्ताक्षर क्रेता  


Drafted and typed by  
Rampur Development Authority



आवेदन सं०: 202500726014790

ही संख्या 1 जिल्द संख्या 11549 के पृष्ठ 51 से 64 तक क्रमांक 11033 पर  
दिनांक 29/08/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Arniya*

अर्निमा शर्मा प्रभारी

उप निबंधक : सदर

रामपुर

29/08/2025

